

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूंगरगढ
मुकदमा नम्बर 34/2014
श्रीमती मनोहरीदेवी पत्नी मेघाराम जाट निवास बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ जिला
बीकानेर निर्णय दिनांक 16.12.2019

1 आसूराम पुत्र पूराराम 2 पून्नीदेवी वनाम
सांवराराम 6 रामनिवास 7 कंवरमल 8 लालाराम 9 मैनाराम पुत्र पुत्री स्व राजूराम 3 जगदीष 4 मोहनराम 5
10 खींवणी पत्नी स्व भैराराम 11 कालूराम 12 किशनाराम 13 दोलाराम पुत्रगण
स्व. भैराराम 14 स्व. सरदारी पत्नी स्व गौरूराम 15 पेमाराम 16 भूराराम पुत्रगण
स्व. गौरूराम 17 हनुमाननाथ 18 ओमनाथ 19 भगवाननाथ पुत्रगण पूर्णनाथ जाति
सिद्ध निवासीगण लिखमादेसर तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर 20 स्टेट
जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ

-----वादीगण

उपस्थिति-

-----प्रतिवादीगण

1. श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में मनोहरीदेवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 581 तादादी 22.36 हैक्टर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ में स्थित है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादगत खेत में वादिनी का 1623/1768 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 आसूराम का 7/44 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/11 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 केके पति/पिता स्व. राजूराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1341/7072 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 3/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का 3/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 का 1/32 हिस्सा है । खातेदार राजूराम पुत्र पूराराम की मृत्यु हो चुकी है । राजूराम के वारिसाओं में प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जायज कानूननी वारिसान है । वादगत खेत में वादिनी का 162/1768 हिस्सा तदनुसार 2.0490 हैक्टर यानि 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादिनी के हिस्से पांति में आती है, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का वादगत खेत में संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हिस्से में 11.18 हैक्टर तदनुसार 44 बीघा 4 बिस्वा भूमि हिस्से पांति में आती है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से में 4.2400 हैक्टर भूमि तदनुसार 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिस्से पांति में आती है । प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के हिस्से में 2.096 हैक्टर भूमि तदनुसार 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि हिस्से पांति में आती है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 के हिस्से में 0.6990 हैक्टर भूमि तदनुसार 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिस्से पांति में आती है । वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादिनी व प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त चली आ रही है परन्तु मौका पर

उपस्थिति-
श्री बाबूलाल दर्जी
अधिवक्ता

वादिनी व प्रतिवादीगण का आपसी हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा के वादिनी के हिस्से में वादगत खेत के उत्तरी पश्चिमी तरफ 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि हिस्से पांति में आई हुई है जिस पर वादिनी ने तारबंदी कर सीमांकन कर रखा है तथा अपने हिस्से में ट्यूब वैल बना रखा है तथा ट्यूब वैल पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। वादिनी व प्रतिवादीगण का रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है। वादगत खेत की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संयुक्त चली आ रही है। वादगत खेत का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं किया हुआ है। वादगत खेत की खातेदारी वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आने से वादिनी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वादिनी अपने हिस्सा की भूमि पर अलग से लगान कायम कराने, खेत में विकास कार्य करवाने, अपनी भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने आदि से वंचित हो रही है इसलिए वादिनी द्वारा उक्त दावा वादगत खेत का अपने हिस्सा को विभाजन करवाने के लिए विभाजन के अनुतोष का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिनी का प्रतिवादीगण ने दिनांक 14.1.2014 को वादगत खेत का आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने से इंकार करने व वादगत खेत को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल करने की धमकी दी है। वादिनी वादगत खेत की रिकार्डेड खातेदार काबिज काफ़्तकार होने से वादिनी को वादाधार हासिल है तथा धमकी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया है कि -

(क) वादगत खेत, खसरा नम्बर 581 तादादी 22.36 हैक्टयर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ में वादिनी का 1623/1768 हिस्सा तदनुसार 2.0490 हैक्टयर भूमि यानि 6 बीघा 02 बिस्वा का खाता विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से तरमीम किया जावे व अलग से लगान कायम किया जावे व उपरोक्तानुसार खाता विभाजन की पालना प्रतिवादी संख्या 20 से करवाई जावे।

(ख) प्रतिवादीगणों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 581 तादादी 22.36 हैक्टयर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ में को बिना विधित रूप से खाता विभाजन करवाये किसी व्यक्ति को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें। वादगत खेतों से वादिनी को बदेखल नहीं करें ना ही वादिनी को वादगत खेत में प्रवेश करने से रोके ना ही कब्जा काफ़्त में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी पैदा करें तथा प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें जिससे वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 19 को जरिये सम्मन तामिल करने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद के बीच में प्रतिवादी संख्या 14 का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके जायज वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के रूप में मौजूद है। बहस इकतरफा सुनी गई।


बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता संख्या नया पुराना 18 16 के खेत खसरा नम्बर 581 तादादी 22.36 हैक्टर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण एवं अभी तक वादी प्रतिवादी का खाता विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

वादगत खेत ,खसरा नम्बर 581 तादादी 22.36 हैक्टर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ में वादिनी का 1623/1768 हिस्सा का खाता विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाता है । शेष प्रतिवादीगणों का खाता यथावत रहेगा । तहसीलदार, श्री डूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काशत के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।


(राकेश कुमार न्योब)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

